



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष १२, अंक १०]

बुधवार, मार्च १८, २०२६/फाल्गुन २७, शके १९४७

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १४

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)
वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,
New Delhi 110 001, Dated 15th March, 2026.

DIRECTION

No.576/3/EVM/2026/SDR-Vol.-I.— Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in **current general election to the Legislative Assemblies of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry and bye elections to 8 Assembly Constituencies in 6 States (as per Annexure-I) announced vide the Election Commission's Press Notes No. ECI/PN/029/2026 and No. ECI/PN/030/2026 both dated 15th March, 2026**, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll in the above said Assembly Constituencies. The polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby **specifies all the Assembly Constituencies in Assam, Kerala, Tamil Nadu,**

(१)

West Bengal and Puducherry and 8 Assembly Constituencies in 6 States (as per Annexure-I) to be notified on 16.03.2026, 30.03.2026 and 02.04.2026 as the constituencies in which the votes, shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By Order,

S. B. JOSHI,
Principal Secretary.

ANNEXURE-1

Sl. No.	Name of the State	Number and Name of the AC
1.	Maharashtra	223-Rahuri AC
2.		201-Baramati AC
3.	Goa	21-Ponda AC
4.	Karnataka	24-Bagalkot AC
5.		107-Davanagere South AC
6.	Nagaland	28-Koridang(ST) AC
7.	Tripura	56-Dharmanagar AC
8.	Gujarat	111-Umreth AC

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली ११० ००१, दिनांक १५ मार्च, २०२६.

निर्देश

सं. ५७६/३/ईवीएम/२०२६/एसडीआर/खण्ड.— यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ६१क में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान करने और मतों के अभिलेखन का यथाविहित ऐसा तरीका अपनाया जाए, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट किया जाए ;

२. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ के नियम ४९क के परन्तुक के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा-अनुमोदित ऐसे डिजाइन वाला ड्रॉप बॉक्स युक्त एक प्रिंटर भी, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मत के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिया जाए ;

३. यतः, निर्वाचन आयोग ने अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई / पीएन / ०२९/२०२६ सं. ईसीआई / पीएन/०३०/२०२६ दोनों दिनांक १५ मार्च, २०२६ के जरिए घोषित असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचन एवं ६ राज्यों में ८ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक - १ के अनुसार) के उपचुनावों में सभी परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) और पेपर ट्रेल [मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं। मतदान कार्मिक ईवीएम और 'वीवीपैट प्रिंटर्स' को कुशलतापूर्वक संभालने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और मतदाता भी ईवीएम और वीवीपैट प्रिंटर्स के प्रचालन से पूर्ण रूप से अवगत हैं ।

४. अब, इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की उक्त धारा ६१क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ के नियम ४९क के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा १६.०३.२०२६, ३०.०३.२०२६ तथा ०२.०४.२०२६ को अधिसूचित किए जाने वाले असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभाओं के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं ६ राज्यों में ८ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक - १ के अनुसार) को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिनमें निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर्स के माध्यम से मत डाले और अभिलिखित किए जाएंगे।

५. निर्वाचन आयोग, एतद्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलोर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटर्स, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और अभिलिखित करने के लिए उक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है।

आदेश से,

एस. बी. जोशी,
प्रधान सचिव.

अनुलग्नक-१

क्रम सं.	राज्य का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
१.	महाराष्ट्र	२२३ - राहुरी वि.स.नि.क्षे.
२.		२०१ - बारामती वि.स.नि.क्षे.
३.	गोवा	२१- फोंडा वि.स.नि.क्षे.
४.	कर्नाटक	२४- बागलकोट वि.स.नि.क्षे.
५.		१०७ - दावन्गेरे दक्षिण वि.स.नि.क्षे.
६.	नागालैंड	२८- कोरीडॉंग (अ.ज.जा) वि.स.नि.क्षे.
७.	त्रिपुरा	५६ - धर्मानगर वि.स.नि.क्षे.
८.	गुजरात	१११ - उमरेठ वि.स.नि.क्षे.

क्रमांक: बीवायई-२०२६/प्र.क्र.४५/२६/३३, निवडणूक - १

सामान्य प्रशासन विभाग,

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांक १८ मार्च, २०२६.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :-

- (१) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- (२) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, अहमदनगर व पुणे.
- (३) उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, अहमदनगर व पुणे.
- (४) निवडणूक निर्णय अधिकारी (२२३- राहुरी व २०१ - बारामती विधानसभा मतदारसंघ)
- (५) निवडनस्ती.

सुनील सोनार,

अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य.